



संस्था १०अई०बी०टी०ई०पी०सी०अई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सीमेन्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय नर्सरी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय नर्सरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनपत्रों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। शीश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3090 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर शीमेन्ट शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को १०अई०बी०टी०ई०पी०सी०अई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कनादे गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा कनादे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन नर्सरी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. लड़ दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई ब्याज वापर किया जाता है तथा वापर ब्याज के संबंध में मा. ल्याब/लैब द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन नर्सरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पर्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉटिफिकेशन जारी होने के पूर्व पी०सी०अई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (क्वॉटिफिकेशन के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, स्टाफ, सत्र-सञ्चय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त कलाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिग टैकने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को कनादे करने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्धित उपलब्ध कनादे गये अभिलेख, भूमि-सम्पत्ति, पंजीकरण, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य

संस्थान के संघलक्ष में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

- ✓ संस्था के न्यूनतम निर्दिष्ट लक्ष्य यदि संस्था में भूमि, मकान, पर्यावरण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा 00आइ0सी0टी0ई0/सी0सी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता हल्टे का अनुपात न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निचयानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव

पुंमं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3838-4309

दिनांक: 09/08/2021

पत्रिका-

जानाचार्यनिदेशक, TIRUPATI COLLEGE OF ENGINEERING, BINDWA MOHANLALGANJ, RAE  
BAREILY ROAD, LUCKNOW



(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव



QUESTION 12 (10 pts)

✓ correct ✓ incorrect ✓ flag ✓ report ✓ help ✓ print ✓ done ✓

Which of the following is NOT a function of the cell wall?

✓ A. Protection

✓ B. Maintenance of cell shape and structure

✓ C. Storage of nutrients

✓ D. Regulation of cell growth

QUESTION 13 (10 pts)

✓ correct ✓ incorrect ✓ flag ✓ report ✓ help ✓

QUESTION 14 (10 pts)

✓ correct ✓ incorrect ✓ flag ✓ report ✓ help ✓

QUESTION 15 (10 pts)

✓ correct ✓ incorrect ✓ flag ✓ report ✓ help ✓

QUESTION 16 (10 pts)



11/03/2023, 11:01 AM

about:blank

जयदेव प्रसाद शर्मा

सीईओ

दिनांक: 12-09-2023

जयदेव प्रसाद शर्मा (REGISTRATION NO: 13091218)

सीईओ

जयदेव प्रसाद शर्मा, TRIPATHI COLLEGE OF ENGINEERING,



जयदेव प्रसाद शर्मा

सीईओ

about:blank

1/1